अध्याय 4 नियंत्रण क्रियाविधि

4.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण में योजनाओं, नीतियों, कार्य करने के तरीके, दृष्टिकोण और लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दृश्य के साथ प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए एक संगठन के कर्मचारियों के प्रयासों सिहत सभी गतिविधियों को सिम्मिलित किया गया है।

4.2 छोड़ा गया राजस्व

सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2012-13 की अविध के दौरान धारा 80आईए के अन्तर्गत अनुमत कटौती के प्रतिणामस्वरूप छोड़े गये राजस्व⁴¹ का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया:

| तालिका 4.1 : सीबीडीटी द्वारा प्रस्तुत छोड़ा गया राजस्व | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (₹ करोड़ में) | | | | |
| निर्धारण वर्ष | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | कुल |
| छोड़ा गया कुल | 14,227.00 | 14,012.00 | 13,136.40 | 41,375.40 |
| राजस्व | | | | |

4.2.1 छोड़ा गया अनिश्चित राजस्व का प्रभाव

लेखापरीक्षा में आधारभूत संरचना विकास के लिए सीबीडीटी/राजस्व विभाग से (अक्टूबर 2015) अनुमानित प्रत्यक्ष राजस्व के सम्बद्ध में वास्तविक निवेश के विषय में विवरण मांगा था। सीबीडीटी ने उत्तर दिया था (नवम्बर 2015) कि उन्होंने कर दाताओं द्वारा अपनी आय रिटर्न में दावा किये गये कर लाभ के ब्यौरे को बनाए रखा। वास्तविक निवेश और उनसे उत्पन्न होने वाले सकारात्मक बाहरी कारको की निगरानी, मुख्य रूप से अर्थिक मामले विभाग से संबंधित है। आर्थिक मामले विभाग ने यही बताया कि इस योजना से

59

⁴¹ सीबीडीटी पत्र सं. एफ सं. 240/07/2015-एएंडपीएसी-॥ दिनांक 26 नवम्बर 2015

मिलने वाले वास्तविक लाभ पर कोई इनपुट नहीं था। तथापि, उद्योग संगठन से प्रतिक्रिया के आधार पर, पूँजीगत वस्तुए में कर प्रोत्साहन और उच्च तकनीक के क्षेत्र में पूर्नीजिवित निवेश है।

इसके अतिरिक्त, उनकी आय के रिटर्न में करदाताओं द्वारा दावा किये गये लाभ का विवरण निर्धारण/अपील के विभिन्न स्तरो पर परिवर्तित होती है। इसलिए करदाताओं द्वारा उनकी आय के रिटर्न में दावा किये गये कर लाभ के विवरणों का अनुरक्षण देश की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के प्रयोजन के लिए छोड़े गये राजस्व को इंगित नहीं करता था।

इस प्रकार, सीबीडीटी के पास देश के अर्थिक और औद्योगिक विकास पर धारा 80आईए अन्तर्गत कटौती के कारण छोड़ा गया राजस्व के प्रभाव के निर्धारण करने के लिए कोई व्यवस्था (तन्त्र) नहीं था। इसलिए, लेखा परीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ है कि क्या अधिनियम में कटौती प्रारंभ करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। अतः सीबीडीटी आश्वासन देने के लिए किसी भी अभिलेख को प्रस्तुत करने में असफल रही है कि सरकार ने योजना की लागत लाभ का विश्लेषण करने के लिए किस प्रणाली को प्रयोग किया है इसलिए समाज के लिए लाभ का निर्धारण करने के लिए निर्धारिती कंपनियों को दी गई रियायतें/अनुमत उत्पन्न को सुनिश्चित किया जा सके। सीबीडीटी ने सुझाव दिया किया कि एनआईपीएफपी जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है।

4.3 धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली निर्धारिती कम्पनियों से संबंधित एमआईएस रिपोर्टो का अभाव

4.3.1 एओ/सीआईट स्तर पर एमआईएस प्रतिवेदन

एओ/सीआईटी स्तर पर धारा 80आईए के अन्तर्गत निर्धारिती कंपनियों के संबंध में यह दावा करते हुए निर्धारिती कंपनियों को पहचान की सुविधा दे सकती है, कटौती के प्रभाव का दावा किया गया और अनुमित दी गयी, निर्धारण का लंबित रहना, बुनियादी ढांचे के विकास में दावे की निरंतरता,

लंबित अपीलों आदि की नियमित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की रिपोर्ट करती है।

- (क) कोलकाता में, आयकर विभाग प्रणाली ने आयकर अधिनियम की धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के दावे के संबंध में विवरणों को प्रदान नहीं किया गया। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि इन दिनों रिटर्न ऑन-लाइन जमा की जाती है, धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती का दावा करने वाले कर निर्धारिती का पता लगाने का एक मात्र विकल्प व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रिटर्न के माध्यम से या संवीक्षा के समय प्रस्तुत अभिलेखों की पुष्टि के माध्यम से पता लगाया जाता था।
- (ख) उत्तर प्रदेश में, आयकर प्रणाली धारा 80आईए के अन्तर्गत 'व्यवसाय निरंतरता योजना' पर कटौती के दावे से संबंधित डेटा/अभिलेख का अनुरक्षण किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यवसाय 'निरंतरता योजना' निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की विषय वस्तु को केवल दर्शित करता है लेकिन कटौती की वास्तविक अनुमत के विषय में, विवादित कर माँग इत्यादि की सूचना नहीं रखता है।

4.3.2 डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा डाटाबेस का अनुरक्षण

डीजीआईटी (प्रणाली) नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध डाटाबेस निहित सूचनाएँ निर्धारिती की वास्तविक निर्धारणों में उपलब्ध विवरणों के साथ मेल नहीं खाती है। डाटाबेस में निर्धारितियों द्वारा दावों के संबंध में निर्धारण के दौरान वास्तव में अनुमित प्राप्त कटौती के डेटा समाविष्ट नहीं है। डाटाबेस भी ऐसे मामलों में जहाँ निर्धारिती पात्र ईकाई से लाभ ले रहा था की अनुमित कटौती नहीं प्रदर्शित कर रहा था लेकिन सकल कुल आय नकारात्मक थी के रूप में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं थी। डाटाबेस के जांच के द्वारा, हमने पाया कि गुजरात प्रभार में, धारा 80आईए के अन्तर्गत 35 निर्धारितियों ने 302.07 करोड़ रूपये का दावा किया, जो डीजीआईटी (प्रणाली) के द्वारा उपलब्ध डेटा में सिम्मिलित नहीं किये गये थे (परिशिष्ट 22)।

एओ/सीआईटी स्तर पर पर्याप्त डाटाबेस के अनुरक्षण और एमआईएस रिपोर्ट के मामले और महानिदेशक (प्रणाली) बहिगमन सम्मेलन में विचार विमर्श किया था (जून 2016)। ऊपर महानिदेशक (प्रणाली) सटीक डाटाबेस की स्थिति के विषय में जानकारी चाहते थे जिसकी एओ/सीआईटी स्तर पर अन्रक्षित करने की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट किया गया था कि जबकि डेटा डीजी (प्रणाली) द्वारा अन्रक्षित डेटा आयकर रिटर्न में निर्धारिती द्वारा दावा किये गये कटौती के विषय में बताता है। एओ द्वारा वास्तव में जॉच के बाद दिखाये दावे की अन्मति नहीं गये थे लेकिन केवल प्रत्येक जांच के निर्धारिण फाइल में उपलब्ध थे अपर महानिदेशक (प्रणाली) बताया था कि रियायत/अनुमत बह् धाराओं के अन्तर्गत अनुदत्त किये गये थे और सभी डेटा को दिखाया वास्तव में संभव नहीं है। यद्यपि, उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा के लिए डेटा को छाँटा जा सकता था और आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जा सकता था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती द्वारा किये गये दावे में और भिन्नता थी और एओ द्वारा स्वीकार किया गया था, इसको उपयोगी डेटा के रूप इसको अन्रक्षित किया जाता चाहिए था अपर महानिदेशक (प्रणालियां) इस पर विचार करने के लिए सहमत है।

4.4 लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र

पात्र व्यवसाय के परिचालन के प्रारम्भ होने की तिथि से 15 वर्षां में से लगातार 10 वर्षों के लिए धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के संबंध में एक एकाउटेंट से फार्म 10सीसीबी में एक उचित रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि खाते और उपक्रम या उद्यम के तुलन-पत्र के साथ उत्पादन के अधीन उपक्रम या उद्यम की प्रत्येक ईकाई को उपक्रम या उद्यम के रूप में देखा जाता है। क्योंकि यदि उपक्रम या उद्यम धारा 80आईए(7) के अन्तर्गत प्रस्तावित थी नियम 18 बीबीबी आयकर नियमों के साथ पठित उपक्रम या उद्यम एक अलग ईकाईयां थी जो निष्ठापूर्वक कटौती की अनुमति देने से पूर्व आयकर विभाग द्वारा देखा जाना चाहिए।

4.4.1 आयकर विभाग ने धारा 80आईए के अन्तर्गत 10 राज्यों⁴² में 65 मामलों में प्रपत्र 10 सीसीबी में अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रविवेदन/प्रमाणपत्र में निहित सूचना की पूष्टि किये बिना लाभ और हानि खाते और तुलन-पत्र के साथ रूपये 121.88 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित कटौती अनुमित दी थी (परिशिष्ट 23)।

बॉक्स 4.1: लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र के दृष्टांत मामले

क. प्रभार : सीआईटी-1 रायप्र

निर्धारिती : मैसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि.

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13

पैन : AAACI7189K

निर्धारिती कंपनी ने उपरोक्त व्यक्त तीन कर निर्धारिती वर्षों के लिए ₹ 17.20 करोड़ ₹34.44 करोड़ और ₹ 27.43 करोड़ की कटौती का दावा किया था। हमने पाया कि निर्धारिती ने विधिवत चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र अनुरक्षित और प्रस्तुत नहीं किये इसकी अपेक्षित कटौती के दावे के रूप में नियम 18बीबीबी के प्रावधान के द्वारा एक अलग रूप में इसकी प्रत्येक पावर इकाई का व्यक्त किया गया है। फार्म 10 सीसीबी इत्यादि में पृथक प्रतिवेदन की अनुपस्थित में निर्धारिती द्वारा ₹ 79.07 करोड़ रूपये की कटौती के दावे आयकर विभाग द्वारा अस्वीकृत कर देने चाहिए। एओ कटौती को अस्वीकृत करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 35.49 करोड़ कर प्रभाव सहित ₹ 79.07 करोड़ की कटौती के अनियमित अनुमत हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया यह कहते हुए कि निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 18सीसीबी में विधिवत पृथक खाता बही, नियम 18बीबीबी के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाते इत्यादि के साथ अनुरक्षित की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा निर्धारिती द्वारा सभी ईकाईयों के लिए फार्म 10सीसीबी में केवल एक प्रतिवेदन अनुरक्षित की गयी थी जो आयकर नियमों धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के दावे करने के लिए नियम 18बीबीबी का उलंघन है।

_

⁴² छत्तीसगढ़(6), गुजरात(3), झारखंड़(1), कर्नाटक(5), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(24), तमिलनाड़्(22), उत्तराखंड(1), उत्तर प्रदेश(1), और पश्चित बंगाल(1),

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

ख. प्रभार : पीसीआईटी-2, कोलकाता

निर्धारिती : मैसर्स बालमैर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2010-11

पैन : AABCB0984E

एओ ने धारा 80आईए के अन्तर्गत निर्धारिती के द्वारा इसके 'कंटेनर फ्रेट स्टेशन' (सीएफएस) से लाभ से निकाली गयी ₹ 17.15 की कटौती की अनुमित दी थी। यद्यपि कर निर्धारिती ने फार्म 10सीसीबी कटौती का दावा करने के लिए सीएफएस की पृथक खाते और तुलन पत्र जमा नहीं किये थे एओ की कटौती अस्वीकृत करने के लिए त्रुटि ब्याज सिहत ₹7.93 करोड़ रूपये का सिम्मिलित कर प्रभाव कटौती की सीमा तक आय के निर्धारण के परिणामस्परूप हुई है। आयकर विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था।

ग. प्रभार : सीआईटी ॥ मदुरई

निर्धारिती : मैसर्स रैमको इन्टस्ट्रीरीयल लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2010-11

पैन : AAACR 5284 J

एओ ने निर्धारिती के लिए ₹ 9.29 करोड़ रूपये की कटौती की अनुमित दी थी यद्यिप निर्धारिती ने अपेक्षित फार्म 10सीसीबी, पृथक लाभ-हानि खाता, पात्र इकाई के तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। त्रुटिपूर्ण कटौती के अनुमत के परिणामस्वरूप ₹ 3.16 करोड़ से कर प्रभाव सहित उस सीमा के लिए कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था।

घ. प्रभार : पीसीआईटी, बैंगल्रू

निर्धारिती : मैसर्स मैस्र व्यापारिक कंपनी लि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13

पैन : AACCM1216H

एओ ने दो वर्षों के लिए धारा 80आईए के अन्तर्गत ₹ 1.86 करोड़ और ₹ 3.92 करोड़ कटौती की अनुमित दी थी। हमने पाया कि निर्धारिती कंपनी ने निर्धारिती फार्म में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बिना कटौती का दावा किया था। कटौती अस्वीकार करने में एओ के असफल रहने के कारण ₹ 2.43 करोड़ के कर प्रभाव सिहत आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

ड. प्रभार : पीसीआईटी - जमशेदप्र

निर्धारिती : मै. जमशेदपुर युटीलिटिज एंड सर्विस कम्पनी लिमि. (जसको)

निर्धारण वर्ष : 2010-11

पैन : AABCJ3604P

एओ ने धारा 80-आईए के अंतर्गत ₹ 3.73 करोड़ की कटौती की अनुमित दी, यद्यिप निर्धारिती ने अलग अपेक्षित आवश्यक प्रमाणित लेखा और 10 सीसीबी प्रस्तुत नहीं किया। कटौती की गलत अनुमित में ₹ 1.70 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी लेखापरीक्षा आपित्त की जांच के लिए सहमत हो गया (अक्टूबर 2015)।

अतः उपरोक्त से यह प्रमाणित होता है कि एओ अनियमित रूप से इस तथ्य कि क्या निर्धारिती कम्पनियां अपेक्षित आवश्यक अलग प्रमाणित लेखे या फार्म 10 सीसीबी प्रस्तुत की है, की जांच किये बिना निर्धारिती को कटौती की अनुमत दी। यदि प्रस्तुत किये गये, तो क्या निर्धारिती ने उसमें उपयुक्त सूचना जैसे उपक्रम के व्यापार को प्रारंभ करना, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष जब से निर्धारिती ने कटौती का दावा किया है, व्यापार का स्वरूप और दावा की गई कटौती राशि आदि प्रस्तुत की हैं। सीबीडीटी आईटीआर फार्म में परिवर्तनों के संयोजन को ध्यान में रखने के लिए सहमत हो गई (जून 2016)।

4.5 फार्म 10 सीसीबी देरी से दाखिल करना/ई-फाइलिंग नहीं करना

नि.व. 2013-14 से, धारा 139(1) के अंतर्गत आय की रिटर्न फाइल करने की तिथि पर या पहले फार्म 10सीसीबी⁴³ की ई-फाइल आवश्यक कर दी गई है।

37 मामलों में हमने देखा कि फार्म 10सीसीबी 32 मामलों में फाइल नहीं की गई थी जबकि 5 मामलों में फार्म 10सीसीबी रिटर्न की फाइलिंग की निश्चित तिथि के बाद ई-फाइल की गई थी। इन मामलों में, एओ ने अनियमित रूप से ₹ 259.09 करोड़ के कर प्रभाव सिहत धारा 80आईए के अंतर्गत ₹ 798.76 करोड़ की अनियमित कटौती की अनुमत की। इन आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन धारा 143(1) के अंतर्गत रिटर्न के प्रसंस्करण के समय पर सिस्टम द्वारा भी सुनिश्चित नहीं किया गया था (परिशिष्ट 24)।

65

⁴³ आयकर कर नियमावली 1962 के नियम के 12(2) के अन्सार

आईटीडी ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपितत को स्वीकार किया। अन्य तीन मामलों में, आईटीडी ने कहा कि मामले संवीक्षा के अंतर्गत हैं और इनका ध्यान रखा जाएगा। 10 मामलों में, आईटीडी ने कहा कि मामला सिस्टम संबंधी होने के कारण डीजीआईटी (सिस्टम) को भेजा जाएगा।

उपरोक्त से यह पाया गया कि फॉर्म 10 सीसीबी की ई-फाइलिंग के बावजूद नि.व. 2013-14 से यह आवश्यक कर दी गई है, उक्त में फाइल न करने/देर से फाइल करने का मामला अभी भी मौजूद है। सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि आईटी अधिनियम की धारा 143(1) के संशोधन के अनुसार वित्त अधिनियम 2016 में मामले को ध्यानार्थ रखा गया है। धारा की शर्तानुसार कोई अस्वीकृति सीधे नहीं दी जा सकती जैसा कि कर दाता को दिये गये नोटिस में दी गई है।

4.6 अधिनियम में संशोधन के अनुसार फार्म 10 सीसीबी को संशोधित नहीं किया गया।

- (i) वित्त अधिनियम, 2007 के सारांश को स्पष्ट करते हुए, 31.3.2007 के बाद एकीकरण या अविलय की योजना के अंतर्गत धारा 80आईए की उप-धारा 12ए के अंतर्गत लाते हुए जो यह दर्शाता है कि उप-धारा (12) के प्रावधान किसी उपक्रम या उद्यम जो 31.3.2007 के बाद एकीकरण या अविलय की योजना में स्थानांतरित किये गये है, पर लागू नहीं होंगे, सीबीडीटी ने बताया कि धारा 81-।ए के अंतर्गत लाभ पहुँचाने में मुख्य अभिप्राय उनको लाभ प्रदान करना है जो पहले आरंभिक निवेश कर चुके और उद्यमी जोखिम उठा चुके थे। अधिनियम में ऐसे प्रावधान आरंभ करने के बावजूद, आईटीडी फार्म 10सीसीबी में दी गई सूचना के आधार पर अनुमत की गई अनियमित कटौती का दावा रोकने के लिए इस उप-धारा को लागू करने को देखने के लिए फार्म 10सीसीबी में कोई परिवर्तन नहीं किया।
- (ii) 80आईए(3) के अंतर्गत निर्धारित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अचल परिसम्पितियों के अतिरिक्त सत्यापित करना अपेक्षित है। यद्यिप फार्म 3सीडी अनुमत योग्य मूल्य हास के विवरण प्रदान करता है। यद्यिप फार्म 3सीडी अनुमत योग्य मूल्यहास के विवरण प्रदान करता है, फार्म 10 सीसीबी में अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य मूल्यहास से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध

नहीं है। इसी प्रकार, परिशिष्ट 1ए में निर्दिष्ट दर के अनुसार मूल्यहास का दावा कर रही विद्युत उत्पादक के मामले में, मूल्यहास सारणी के लिए कोई अलग आय रिटर्न में निर्धारित नहीं की गई।

(iii) 2008 की सीएजी की रिपोर्ट सं. पीए 7 के अध्याय III के 'योग्य इकाईयों से संबंधित हानियों और मूल्यहास का समायोजन' (पैरा 3.6.3.27) में यह दर्शाया गया इस पर हमारी विगत निष्पादन लेखापरीक्षा में यह सिफारिश की गई कि मंत्रालय एक अभिन्न सत्व के रूप में योग्य इकाईयों से संबंधित लाभों की गणना करने के लिए प्रक्रिया के पहले वर्ष से हानि/मूल्यहास के अग्रेनीत के विवरण प्रस्तुत करने के लिए 80आईए कटौती प्राप्त करना निर्धारिती के लिए इसे आवश्यक बनाने को ध्यान में रख सकता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि निर्धारण आदेश अलग-अलग उपयुक्त और अनुपयुक्त इकाईयों के लिए भावी वर्षों में सेट आफ करने के लिए हानियों के विवरण अग्रेनीत किये जाने को स्पष्टत: निर्दिष्ट करते हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान भी, यह देखा गया कि उपयुक्त इकाईयों की हानियां/अनावशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत से संबंधित सूचना एओ के पास तुरंत उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कोई स्पष्ट सशब्द आदेश नहीं है तािक उपयुक्त इकाई की हािनयां/अनावशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत करने की स्थिति को अद्यतित किया जा सके। सीबीडीटी उपर्युक्त मामलों के मद्देनजर लेखापरीक्षा फार्म 10सीसीबी की जांच करने के लिए सहमत हुआ (जून 2016)।

4.7 संवीक्षा हेत् 80 आईए मामलों का चयन न करना

4.7.1 सीबीडीटी ने निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए कार्यपद्धित विनिर्दिष्ट करने के प्रत्येक वर्ष 8 निर्देश जारी करता है। चयन प्रक्रिया राजस्व की किसी हानि न होने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मैन्यूल संवीक्षा, विवेकपूर्ण मैन्यूल संवीक्षा और संवीक्षा हेतु कम्प्यूटर सहायक युक्त चयन (सीएएसएस) सामान्य रूप से आवश्यक होंगे।

वर्ष 2013-14 के दौरान संवीक्षा मामलों के आवश्यक मैन्यूल चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड पर बोर्ड द्वारा जारी की गई दिनांक 5 अगस्त 2013 की निदेश सं. 10/2013 के अनुसार "कानून या तथ्य जो अपील में स्थायी है या अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, के और पुनरावृत प्रश्न पर 10 लाख से अधिक होने पर किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में अनुवृद्धि वाले मामले" एक मानदंड है।

हमने 19 मामले¹⁴ पाये जिन्होंने संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित होने के लिए मानदंड पूरे किये परन्तु चयनित नहीं किये गये थे। इन मामलों में, निर्धारितियों को धारा 143(1) के अंतर्गत संक्षेप निर्धारण में गलत रूप से कटौती अनुमत की गई थी जिसमें ₹ 7.54 करोड़ के कर प्रभाव सहित दावा किया गया था (परिशिष्ट 25)।

बॉक्स 4.2: 80आईए मामलों का संवीक्षा हेतु चयन नहीं होने के निदर्शी मामले

क. प्रभार : प्रधान सीआईटी-। भोपाल

निर्धारिती : मै. मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्पोरेशन लिमि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पैन : AAGCM5306C

एओं ने संक्षेप रूप में प्रक्रियाशील रिटर्न पर ₹ 17.45 करोड़ की कटौती अनुमत की। नि.व. 2010-11 और 2012-13 के लिए, निर्धारण संवीक्षा के बाद पूरे किये गये थे जहां एओं ने अनुपयुक्त व्यापार आधार पर धारा 80आईए के अंतर्गत क्रमशः ₹ 14.23 करोड़ और ₹ 26.21 करोड़ की कटौती अस्वीकार की। यह सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नि.व. 2011-12 के लिए भी संवीख्या मैन्यूल चयन के लिए एक उपयुक्त मामला था। संवीक्षा के लिए मामले का चयन न होने के कारण ₹ 5.80 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 17.45 करोड़ की गलत कटौती अनुमत की गई। आईटीडी ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि मामले को ध्यान में रखा जाएगा।

-

⁴⁴ आंध्र प्रदेश (2), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (5) और तमिलनाड् (11)

ख. प्रभार : सीआईटी, तिरूपति

निर्धारिती : मै. मद्रै विद्युत कार्पोरेशन प्रा. लिमि. लिमि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पैन : AACCM7661C

आईटीडी ने संक्षेप रूप में प्रक्रियाशील रिटर्न पर ₹ 58.34 करोड़ की कटौती अनुमत की। कैस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामले का चयन नहीं किया गया था। हमने अवलोकन किया कि नि.व. 2010-11 में, कैस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए रिटर्न का चयन किया गया और कीचड़ और खराब तेल की विक्रय आय पर ₹ 78.92 लाख की राशि इसे अनुपयुक्त व्यापार समझते हुए धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौती के लिए अस्वीकृत कर दी गई। इसी प्रकार, ₹ 2.26 करोड़ की ब्याज प्राप्ति निर्धारण के दौरान जोड़ी गई। निर्धारिती ने सीआईटी(ए) जहां अपील आंशिक रूप से अनुमत थी, के समक्ष अपील फाइल की। इसके अतिरिक्त विभाग ने कानून या तथ्य के आवश्यक और पुनरावृत प्रश्न, जिन्हें अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, पर आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल की। नि.व 2012-13 के लिए भी, निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, एओ ने उक्त आधार पर कटौती अस्वीकृत कर दी। इस प्रकार नि.व. 2011-12 के लिए रिटर्न मैन्यूल संवीक्षा के लिए चयनित की गई और कटौती के लिए कीचड़ और खराब तेल के विक्रय लाभ पर ₹ 38.14 लाख की राशि अस्वीकृत की गई।

4.7.2 धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती दावा करने वाले मामलों के संवीक्षा निर्धारण के लिए चयन के लिए लागू मानदंड से संबंधित सूचना आयकर महानिदेशक (प्रणाली) से मांगी गई (अक्टूबर 2015)। डीआईटी (सिस्टम) ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि तीन पैरामीटर वि.व. 2014-15 के दौरान संवीक्षा चयन के लिए लागू किये गये थे और लागू किए गए मानदण्ड गोपनीय थे। हमने तीनों मानदंड और धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती के संवीक्षा निर्धारण मामलों के चयन हेतु आईटीडी द्वारा लागू किये गये मानदंड उपलब्ध करवाने के लिए सीबीडीटी को लिखा (फरवरी 2016)। सीबीडीटी से उत्तर अब तक प्रतीक्षित था (जून 2016)।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आवश्यक संवीक्षा हेतु मामलों के चयन बिना कटौती की अनुमत के कारण कटौती की गलत अनुमत की गई। कैस ने धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती के संबंध में आवश्यक संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान करने में भी कोई सहायता नहीं की। संवीक्षा के लिए मामलों का चयन नहीं किया गया यद्यपि उन्होंने बोर्ड द्वारा जारी मानदंड पूरे

किये। सीबीडीटी इस मामले को ध्यान में रखने के लिए सिस्टम निदेशालय को निदेश देने के लिए सहमत हो गई (जून 2016)।

4.8 निर्धारितियों के बिक्री/खरीद दावे की क्रॉस लिंकिंग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं

आंध्र प्रदेश, सीआईटी- हैदराबाद प्रभार में, युनाईटेड पोर्ट सर्विसेज प्रा. लिमि. हैदराबाद अपनी संबंधित पार्टियों (मै. काकीनाड़ा सीपोर्टस लिमि., हैदराबाद और काकीनाड़ा मरीन और ऑफ शोर कांपलैक्स, हैदराबाद) के रिकॉर्डों के प्रति सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने बंकर क्रय किया जिसमें संबंधित पार्टियों ने जिन्होंने पानी और तेल के विक्रय पर 80आईए कटौती का दावा किया गया इसमें विक्रय भी शामिल किया। नि.व. 2012-13 में, निर्धारिती ने ₹ 6.81 करोड़ का जल क्रय किया गया जिसमें से मै. केएसपीएल को ₹ 1.73 करोड़ का क्रय किया गया। मै. केएसपीएल ने ₹ 1.84 करोड़ के जल क्रय पर धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौती का दावा किया। इसी प्रकार, मै. केएसपीएल के साथ निर्धारिती के मुख्य समझौते के अनुसार, निर्धारिती सम्पूर्ण पोर्ट में पानी का एक ही आपूर्तिकर्ता था और आपस में पानी, तेल आदि की दिशा बदलने में निर्धारिती के साथ-साथ इसकी संबंधित पार्टियों दोनों द्वारा 80-आईए कटौती को दोहरे दावे का भरपूर जोखिम है।

इस प्रकार, संवीक्षा के दौरान संबंधित पार्टियों द्वारा उक्त गतिविधियों पर कटौती के दोहरे दावे के मामलों के प्रति जांच के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

4.9 तकनीकी प्रमाणीकरण की आवश्यकता

धारा 80आईए के अंतर्गत फार्म 10 सीसीबी, जिसमें आरंभ करने की तिथि, कटौती की मात्रा आदि से संबंधित सूचना होती है, में लेखाकार से लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कटौती अनुमत है। फार्म 10 सीसीबी में लेखाकार की

रिपोर्ट में आधार भूत संरचना के विकास और उस पर निर्धारिती की पात्रता से जुड़ी बारीकी को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

1.4.2000 से पहले, धारा 80आईए के अंतर्गत टेलीकॉम के लिए कटौती केवल बेसिक/सेल्यूलर/रेडियों पेजिंग और घरेलू सेटलाईट सर्विस और नेटवर्क ट्रंकिंग के लिए अनुमत की गई थी। 1.4.2000 से नये 80आईए प्रावधान में, ब्रॉडबैंड नेटवर्क या इंटरनेट सेवा प्रदाता ऐसी अनुमित के लिए शामिल थे यदि ये 1 अप्रैल 1995 तक या बाद में परंतु 31 मार्च 2000 या पहले संस्थापित किये गये थे।

सेल्यूलर संप्रेषण सेवा के लिए 20 दिसम्बर 1992 को निगमित मै. एयरसेल सेल्यूलर लिमि. को नवम्बर 1994 में लाइसेंस जारी किया गया था। कम्पनी ने 20 अक्तूबर 1995 को अपना व्यापार आरंभ किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि तकनीकी प्रमाण पत्र के अभाव में, यह प्राधिकृत रूप से नहीं जाना जा सकता था कि क्या एयरसेल ने 1995 में इंटरनेट सेवाएं/ब्रॉडबैंड आरंभ की है। यदि निर्धारिती के पास 1995 में इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं है, निर्धारिती केवल पुराने प्रावधानों के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य था।

किसी तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अभाव में, आधार भूत संरचना की सुविधा के विकास का स्वरूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीबीडीटी वर्ष 2017 की बजट प्रक्रिया के दौरान प्रस्ताव की जांच के लिए सहमत हो गया (जून 2016)।

सिफारिशें

(i) सीबीडीटी करावकाश के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए आर्थिक मामले के विभाग के रिकॉर्डों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किये गये वास्वतिक निवेश के साथ आईटीडी द्वारा अनुमत कर लाभ के बीच उचित लिंकेज के लिए एक तंत्र विकसित करे। सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि एनआईपीएफपी आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि धारा 80ए के अंतर्गत आईटीडी द्वारा अनुमत कर लाभ और मितव्यियता के लिए अभिप्रेत लाभ के बीच उचित लिंकेज के लिए सरकार द्वारा प्रकिया विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों से डाटा का संकलन करने की आवश्यकता होगी जो बेहतर शासन प्रदान करने के लिए विश्लेषण का प्रभावित करने में सहायता करेगा।

- (ii) सीबीडीटी नीचे दी गई सुचना को दर्शाते हुए एमआईएस रिपोर्टीं को डिजाइन करे और उन्हें जेनरेट करे;
- > व्यवसाय की प्रकृति जैसे आधारभूत सड़कों, पत्तनों का विकास, विद्युत उत्पादन आदि, आरंभिक निर्धारण वर्ष निर्धारिती द्वारा जब से कटौती का दावा किया गया था के साथ-साथ उपयुक्त व्यवसाय के प्रारंभ करने के वर्ष और प्रासंगिक नि.व. और सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसमे ऐसी कटौती का दावा किया गया था, में उपयुक्त व्यवसाय में निर्धारिती द्वारा उठाई गई हानि।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये आईटीआर फार्म में परिवर्तन संयोजन के लिए ध्यान में रखे जाएंगे।

> अनुमत की गई कटौती या यदि मूल निर्धारण में कटौती अस्वीकृत की गई तो क्या उसे सीआईटी (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्मत किया गया था;

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि ए.ओ. सीआईटी(ए), आईटीएटी, उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करते समय आईटीबीए में कारणों को कैप्चर करेगा।

(iii) सीबीडीटी अनुमेय मूल्याहास के लिए कॉलम जोड़ने के लिए फार्म 10सीसीबी के संशोधन पर विचार कर और वर्षवार ब्यौरे दर्शाते हुए उपयुक्त इकाई की अग्रेनीत हानि/अनावशोषित मूल्यहास को अनुमति योग्य पर विचार करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि लेखापरीक्षा फार्म 10सीसीबी के संशोधन की जांच की जाएगी।

(iv) सीबीडीटी तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकरण जैसे क्षेत्रीय नियामक द्वारा अलग-अलग प्रत्येक क्षेत्र के लिए आधारभूत प्रक्रिया के प्रमाणीकरण पर विचार करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि वर्ष 2017 के लिए बजट प्रक्रिया के दौरान मामले की जांच की जाएगी।

नई दिल्ली

दिनांक: 01 अगस्त 2016

(राजीव भूषण सिन्हा)

महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 01 अगस्त 2016

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक